भारत निर्माण सेवक

ग्रामीण आवास योजनाएं

-एक संक्षिप्त परिचय

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0

लखनऊ - 226202

मेरा दायित्व

समुदाय से निरन्तर सम्पर्क करना।

समुदाय को प्रोत्साहित करना।

समुदाय का सहयोग करना।

आँख, कान की भूमिका निभाना।

समुदाय तथा विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

संरक्षण एवं मार्गनिर्देशन

एन.एस. रवि
आई.ए.एस.
महानिदेशक

सम्पादक

डा. ओ0पी0 पाण्डेय
संयुक्त निदेशक

संकलन एवं प्रस्तुतीकरण

- डॉ. राज किशोर
- नवीन चन्द्र अवस्थी
- डॉ. ओमेन्द्र कुमार यादव
- शिव भगवान
- सुमन पाण्डेय
- मुद्रिका शर्मा

अन्य सहयोगी

- माला पाण्डेय
- अनुज कुमार दुबे
- राजेन्द्र कुमार

प्रथम संस्करण

©एस.आई.आर.डी.यू.पी. वर्षः 2015

एन.एस.रवि
आई.ए.एस.

महानिदेशक
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ.प्र.
लखनऊ–226202

संदेश

ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण सेवकों को गतिशील करने का कार्य उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

ये सेवक ग्रामीण विकास, पंचायतीराज तथा समस्त लाइन डिर्पाटमेन्ट की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में योजना नियोजन, क्रियान्वयन, अनुसरण आदि में परामर्शदाता/प्रेरक/ सुविधादाता के रूप में निःशुल्क अपना योगदान एवं सेवा प्रदान करेंगे। ग्रामीण समुदाय से ही चयनित ये सेवक विभिन्न लाभकारी योजनाओं एवं लाभार्थियों के मध्य एक मजबूत कड़ी का काम करते हुए कार्यक्रमों एवं योजनाओं से संबंधित सूचनाओं को आम– जनमानस तक पहुँचायेंगे।

इन सेवकों तथा ग्रामीण समुदाय को इस योजना के विषय में सरल एवं स्पष्ट जानकारी देने के उद्देश्य से संस्थान के डॉ0 ओ0 पी0 पाण्डेय, संयुक्त निदेशक व उनकी टीम तथा सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0 के श्री शंकर सिंह, निदेशक, श्री राजवर्धन, अपर निदेशक, श्री कृष्ण गोपाल, अपर निदेशक व श्री उमेश मणि त्रिपाठी, उपायुक्त द्वारा विभिन्न स्रोतो से संकलित कर यह संदर्भ साहित्य विकसित करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। आशा है विभिन्न विकास योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने में भारत निर्माण सेवकों की क्षमता विकास के लिए यह अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

एन.एस.रवि
महानिदेशक

1. इन्दिरा आवास योजना

परिचय

इन्दिरा आवास योजना वर्श 1985–86 से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की उप योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी थी। वर्श 1989–90 में यह योजना जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में कार्यान्वित की गयी। दिनॉक 01.04.1996 से इस योजना को एक स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। पूर्व में यह योजना केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिये थी, परन्तु 1994–95 से इस योजना मे अन्य वर्गों, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, को भी सम्मिलित किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत नए मकान का अर्थ ऐसा बनाया गया मकान है, जिसका 'निर्मित क्षेत्र' शौचालय को छोड़कर कम से कम 20 वर्ग मीटर हो। वह मकान मुनासिब रखरखाव से कम से कम 30 वर्ष तक रहन–सहन और मौसमी परिस्थितियों सहित प्राकृतिक कारणों से होने वाली सामान्य टूट–फूट को सहन कर सके। उसकी छत स्थाई सामग्री की बनी होनी चाहिए और दीवारें स्थानीय मौसमी परिस्थितियों को सहने में सक्षम होनी चाहिए।

योजना का उद्देश्य

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासविहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु अनुदान के रूप में धन उपलब्ध कराना है।

मकान का स्वरूप

प्रत्येक मकान में एक शौचालय, सोख्ता गड्ढा और कम्पोस्ट गड्ढा होना चाहिए। धूंऑ–रहित चूल्हे भी शामिल होने चाहिए, जिनसे उन मकानों को छूट दी जा सकती है, जहां परिवारों के पास एलपीजी/बायोगैस कनेक्शन हो।

मकान हेतु भूमि का चयन

जमीन का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह जमीन सड़क संपर्को, पेयजल की उपलब्धता, सार्वजनिक संस्थाओं से निकटता इत्यादि की दृष्टि से उपयुक्त हो। यदि लाभार्थी जमीन खरीदने के लिए इच्छुक हो तो विधिवत सत्यापन के बाद पात्रतानुसार राशि की प्रतिपूर्ति उसे की जा सकती है।

लाभार्थियों का चयन

इस योजना की लागत में भारत सरकार और राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में धन उपलब्ध कराती हैं। 60 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित है। 15 प्रतिशत निधियां अल्पसंख्यकों के लिए अलग रखने की व्यवस्था है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 3 प्रतिशत लाभार्थी विकलांग व्यक्तियों में से हों। यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से किसी एक श्रेणी के पात्र लाभार्थी उपलब्ध न हों तो इन दोनों श्रेणियों के लक्ष्य एक–दूसरे के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं और इस आशय का प्रमाण–पत्र भी दिया जाएगा। अल्पसंख्यक लाभार्थियों का चयन मौजूदा स्थाई प्रतीक्षा सूची से किया जाएगा।

वरीयता

योजना का लाभ निम्नांकित वरीयताक्रम से अनुमन्य किया जा सकेगा:–

(क) मैला ढोने वाले व्यक्तियों के परिवार, जिनमें पुनर्वासित व्यक्ति एवं पुनर्वासित बंधुआ मजदूर भी शामिल होंगे।

(ख) विधवाओं, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं सहित विषम परिस्थितियों वाली महिलाएं, अत्याचार से पीड़ित महिलाएं तथा ऐसी महिलाएं जिनके पति कम से कम 3 वर्षों से गुमशुदा हैं और ऐसे परिवार जिनके घर की मुखिया महिला हो।

(ग) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति (कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता)

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता)

(ड.) कृट्रांसजेन्डर व्यक्ति

(च) सशस्त्र कार्यवाही में मारे गए सेना/पैरामिलिट्री/पुलिस बल कर्मियों की विधवाएं और निकट संबंधी (चाहे बी.पी.एल. न भी हों)

(छ) अन्य बेघर बी.पी.एल. परिवार

वरीयता सूची में सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों को शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और अन्य व्यक्तियों के लिए उपर्युक्त दी गई वरीयता का पालन किया जाएगा।

वरीयता सूची को अन्तिम रूप दिया जाना

पंचवर्षीय वरीयता सूची को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करने और बसावटों एवं बिखरे हुए परिवारों के लिए निर्धारित लक्ष्य के आधार पर वार्षिक चयन सूची तैयार की जाएगी। वार्षिक सूची को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा की बैठक में जिलाधिकारी का नामिती भी उपस्थित होगा और निकाले गए नामों, यदि कोई हो, की सूची कारणों सहित चिन्हित की जाएगी। ग्राम सभा की यह बैठक 30 नवंबर तक संपन्न हो जानी चाहिए और तैयार सूची

31 दिसंबर से पहले जिला पंचायत को भेजी जाएगी, ताकि अनंतिम लक्ष्यों के आधार पर जिले की वार्षिक लाभार्थी सूची को अंतिम रूप दिया जा सके।

विकलांग व्यक्तियों तथा वयोवृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को इसके लिए विशेष रूप से सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

आवास हेतु अनुदान की राशि

वर्तमान मे इन्दिरा आवास योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 अनुपात में वित्तपोशित है। वर्ष 2013–14 से इन्दिरा आवास की लागत हेतु रू0 70,000/– मैदानी क्षेत्रों तथा रू. 75,000/– नक्सल प्रभावित जनपदों यथा–चन्दोली, मिर्जापुर एवं सोनभद्र के लिये अनुदान के रूप में दिया जाता है।

स्वीकृति पत्र जारी करना और प्रथम किश्त की रिलीज

ग्राम सभा की बैठक में, जिसमें लाभार्थी भी उपस्थित रहते हैं, निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगीः–

(क) प्रत्येक लाभार्थी के पक्ष में स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा जिसमें निबंधनों एवं शर्तों, विशेष रूप से भुगतान अनुसूची का ब्यौरा दिया जाएगा।

(ख) प्रत्येक लाभार्थी को प्रथम किश्त जारी करने हेतु निधि अंतरण आदेश भी दिए जाएंगे। यह निधि प्रत्येक लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में अंतरित की जानी चाहिए। इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को नकद में किश्त जारी किए जाने की अनुमति नहीं है।

मकानों का आवंटन

विधवा/अविवाहित/अलग रह रहे व्यक्ति के मामले को छोड़कर इन्दिरा आवास योजना के मकानों का आवंटन संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम पर किया जाएगा। केवल महिला के नाम पर मकान आवंटित किया जा सकता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए कोटे के अंतर्गत चुने गए लाभार्थियों के मामले में केवल विकलांग व्यक्तियों के नाम से आवास आवंटन किया जाना चाहिए।

निर्माण

निर्माण कार्य लाभार्थी द्वारा स्वयं कराया जाएगा। मकानों के निर्माण में कोई ठेकेदार शामिल नहीं होगा। मकानों का निर्माण किसी सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए।

डिजाइन एवं निर्माण मानक

कोई अनिवार्य डिजाइन नहीं है। विकल्प का चयन लाभार्थी पर निर्भर करता है। मकान के ले आउट का निर्णय भी लाभार्थी द्वारा किया जाना चाहिए,

उत्तम ले–आउट के संबंध में सलाह दी जा सकती है। विकलांग व्यक्ति वाले परिवार के लिए मकान में सरल एवं निर्वाध आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। लाभार्थियों को दी जाने वाली किश्तों की संख्या दो है। प्रत्येक किश्त जारी किए जाने से पूर्व विनिर्दिष्ट अधिकारी स्थल का दौरा और निर्माण का सत्यापन करेगा जिसका ब्यौरा फोटोग्राफ के साथ कार्यक्रम की वेबसाइट (आवास सॉफ्ट) पर अपलोड किया जाएगा।

निर्माण की समय–सीमा

सामान्य तौर पर, मौसम तथा अन्य कारकों के अधीन निर्माण के चरण निम्नलिखित समय सीमाओं के भीतर पूरे किए जाएंगे:–

चरण एक : लिंटर स्तर तक निर्माण – प्रथम किश्त जारी किए जाने की तारीख से नौ माह

चरण दो : आवास पूर्ण किया जाना – दूसरी किश्त जारी किए जाने की तारीख से नौ माह

निर्माण पूरा किया जाना

किसी भी स्थिति में किसी मकान को पूरा करने में प्रथम किश्त की स्वीकृति की तारीख से दो वर्ष से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। तथापि, चूँकि लाभार्थी बीपीएल श्रेणी से हैं जिन्हें मकान पूरा करने के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाने में प्रायः कठिनाई होती है, अतः विलंब के मामलों की निगरानी की जाएगी और लाभार्थियों को तीन वर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर मकान पूरा करने हेतु सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। निर्मित प्रत्येक मकान में इन्दिरा आवास योजना लोगो, निर्माण का वर्ष, लाभार्थी का नाम आदि दर्शाते हुए डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए। इस मद पर होने वाले व्यय को योजना के तहत उपलब्ध निधि से पूरा किया जाएगा।

लाभार्थियों को भुगतान

लाभार्थियों को उनके बैंक/डाकघर खातों में भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 4 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रति परिवार 20,000 रु0 तक का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

मनरेगा योजना से कन्वर्जेन्स

वर्श 2014–15 से इस योजना के पात्र लाभार्थियों को मनरेगा योजना के जाब कार्ड धारकों को 90 दिन की सीमा तक कन्वर्जन्स की व्यवस्था की गयी है।

तालमेल

इन्दिरा आवास योजना के निर्मित मकानों में शौचालयों, पेयजल,

विद्युतीकरण, सुरक्षाहेतु, बायोफेन्सिंग, वृक्षारोपण, खेल का मैदान, स्वास्थ्य हेतु, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के अन्तर्गत स्मार्ट कार्ड तथा सुगम आवागमन हेतु सड़क की सुविधा सम्बन्धित विभागों की तालमेल से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

पंचायतों की भूमिका

ग्राम पंचायतों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है, जिसमें निम्न शामिल हैं:

(क) ग्राम पंचायतों द्वारा पांच वर्षों के लिए तैयार की गई प्राथमिकता सूची तथा लाभार्थियों की वार्षिक चयनित सूची के चयन हेतु बुलाई गई ग्राम सभा की बैठक में गांव के लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ख) ग्राम पंचायतें जनता में योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार के विभिन्न फील्ड स्तरीय पदाधिकारियों, भारत निर्माण वालेन्टियर्स, स्वयं सहायता समूहों तथा सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाएंगी।

(ग) लाभार्थियों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर अथवा ग्राम पंचायतों के कलस्टर के स्तर पर लाभार्थियों की बैठक बुलाएंगी और लाभार्थियों को मकानों के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देंगी तथा विभिन्न स्रोतों से सहायता उपलब्ध कराएंगी।

(घ) ग्राम पंचायतें सोशल आडिट टीमों को सोशल आडिट कराने में सक्रिय रूप से सहायता देंगी।

इन्दिरा आवास योजना का सोशल आडिट किया जाना

(क) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के माध्यम से सोशल आडिट टीम को इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के सभी ब्यौरे, जैसे दिशा–निर्देश, पंचवर्षीय प्राथमिकता सूची, वार्षिक चयन सूची, लाभार्थी की पिछली सूची, किए गए भुगतान, उपलब्ध कराई गई सहायता सुविधाएं, विभिन्न स्तरों पर किए गए निगरानी दौरे, किए गए मुख्य निरीक्षण इत्यादि उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) सोशल आडिट टीम लाभार्थियों के साथ योजना की प्रक्रियाओं और प्रक्रियाविधियों के संबंध में विचार–विमर्श एवं तथ्यों का सत्यापन करेंगे। तत्पश्चात ग्राम सभा की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नामित एक पर्यवेक्षक अधिकारी की उपस्थित में योजना का सोशल आडिट किया जायेगा।

(ग) सोशल आडिट रिपोर्ट आयुक्त, ग्राम्य विकास तथा सोशल आडिट निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाएगी।

2. लोहिया आवास योजना

परिचय

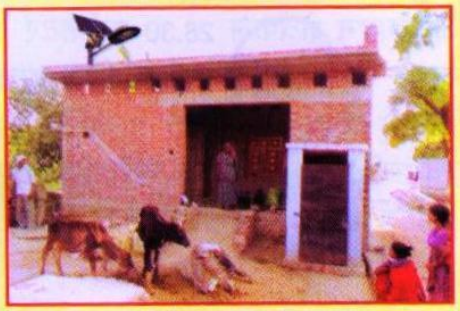

उत्तर प्रदेश में लोहिया आवास योजना शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त–पोशित है। इस का शुभारम्भ 25 मार्च, 2013 को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा जनपद उन्नाव के विकासखण्ड सिकन्दरपुर सिरसौसी के ग्राम बन्धनपुर में किया गया।

योजना के उद्देश्य एवं पात्र लाभार्थी

योजनान्तर्गत अनसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के ऐसे ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराए जाने हैं, जो आवास विहीन है, व जिनकी वार्शिक परिवारिक आय रु0 36 हजार से कम है तथा वर्श 2002 में तैयार की गयी बी.पी.एल. सूची के आधार पर तैयार की गई स्थाई पात्रता सूची में उनका नाम न होने के कारण वे इंदिरा आवास योजना की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिये लोहिया ग्राम आवास योजना का प्रारम्भ की गयी है।

आवास का क्षेत्रफल

लोहिया आवास योजनान्तर्गत प्रति आवास आच्छादन क्षेत्रफल (कवरेज एरिया) न्यूनतम् 28.30 वर्गमीटर यानी 304.51 वर्गफिट होगा। इसमें दो कमरों का निर्माण किया जाना अनुमन्य है।

अनुदान सीमा

लोहिया आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु प्रारम्भ में प्रति लाभार्थी रू. 1.60 लाख का का अनुदान राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य था, जिसे अब बढ़ाकर रू. 2.75 लाख कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 ने उक्त धनराशि में बृद्धि करते हुये इसे अक्टूबर 2014 से रू. 3.05 लाख कर दिया है। उक्त धनराशि में से ही रू. 30 हजार की सीमा तक सोलर सिस्टम, लाइट व पंखा आदि के लिये शासकीय सहायता अनुमन्य की गयी है। सोलर सिस्टम की 5 वर्श तक नियमित रख–रखाव एवं देखरेख की व्यवस्था है।

आवास के मानक

लोहिया आवास का निर्माण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानचित्र के अनुसार कराया जाता है। आवंटित आवास का मानक के अनुसार ही न्यूनतम आच्छादन क्षेत्रफल 28.30 वर्गमीटर रहता है। आवास के मानक हेतु विकास खण्ड स्तर पर तकनीकी कार्मिक द्वारा प्रत्येक लाभार्थी की भूमि पर ले–आउट बनाया जाता है। घर के आन्तरिक ले–आउट यथा कमरों के आकार आदि में लाभार्थी की इच्छानुसार परिवर्तन अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु दो कमरे अवश्य बनाना प्राविधानित है।

आवास पर नाम पट्टिका

प्रत्येक निर्मित लोहिया आवास के मुख्य द्वारा के पार्श्व में दीवार पर लश्श अलग से देय नहीं होगी।

आवास का स्वामित्व

लोहिया आवासों का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होगा। यदि परिवार में महिला अर्थात पत्नी का देहान्त हो गया हो तो आवास विधुर पति को भी आवंटित कये जाने की छूट होगी।

आवास के साथ शौचालय

आवास के साथ शौचालय निर्माण हेतु अनिवार्य रूप से जिला स्तर पर पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित "निर्मल भारत अभियान" एवं मनरेगा से डवटेल (युगपति) कर निधियां प्राप्त की जायेगी।

मनरेगा से कन्वर्जेन्स

वर्श 2014–15 से इस योजना के पात्र लाभार्थियों को मनरेगा योजना के जाब कार्ड धारकों को 90 दिन की सीमा तक कन्वर्जन्स की व्यवस्था की गयी है।

योजना की पारदर्शिता

आवास के लाभार्थियों से सम्बन्धित समस्त सूचनायें यथा लाभार्थी का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, लाभार्थी का फोटो एवं आवास का फोटो (सोलर लाइट सहित) अन्य विवरण प्रदेश की वेबसाइट www.lgay.up.nic.in पर उपलब्ध है। सामान्य जनमानस योजना से संबधित समस्त सूचनायें इस वेबसाइट पर अवलोकित कर सकता है।

भारत निर्माण सेवक की भूमिका

- योजनाओं की जानकारी ग्रामीण समुदाय तक पहुंचाना।
- योजनाओं के पात्र व्यक्तियों के चयन में सहयोग करना।
- चयनित लाभार्थियों को योजना के लिये आवश्यक प्रपत्र तैयार कराने में मार्ग निर्देशन एवं सहयोग करना।
- चयनित लाभार्थियों को बैंक खाता खुलवाने में सहायता करना।
- चयनित लाभार्थियों को आवास का ले–आउट तैयार करने में सहयोग करना।
- लाभार्थियों को किश्त प्राप्त करने तथा उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में सहयोग करना।
- लाभार्थियों को कन्वर्जन्स के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी कराना।
- अन्य विभागों से मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी कराना।

महिलाओं में जानकारी ही कामयाबी की मंजिल है।

भारत निर्माण सेवक - सामाजिक दायित्व

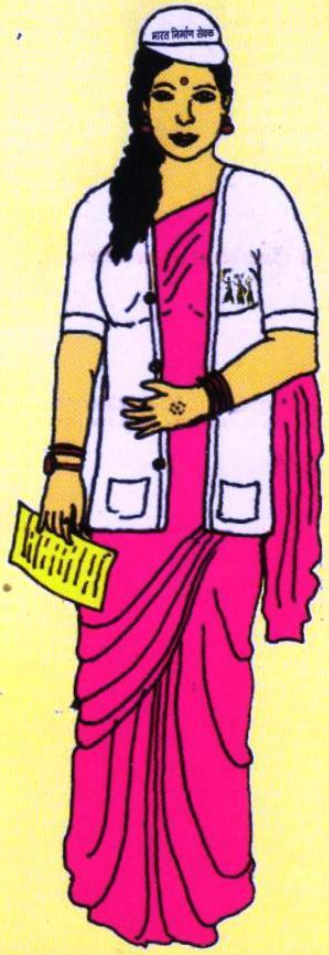

- पहल हेतु प्रेरित करना
- पहल को महत्व देना
- पहल को पहचान देना
- पहल को प्राथमिकता देना
- पहल का समर्थन
- पहल को प्रोत्साहन देना
- पहल में भागीदार होना
- पहल का कार्यान्वयन कराना

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0
जनसहभागिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही केन्द्र
बख्शी का तालाब, इन्दौराबाग, लखनऊ - 226202
के द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित
दूरभाष : 05212-298291, 298292 फैक्स - 05212-298209
E-mail: sirdup2005@rediffmail.com
Website : www.sirdup.in